

19 21

ज्ञानवली सेवा दुर्ग। वकील कादी उप०। वकील  
 कादी के आक्षेप बिना कि प्रतिवादी ल. १  
 की अर्ज को चुकी है एवं कादी की  
 अर्जद्वारा प्रतिवादी ल. १ के विरुद्ध ही  
 की अर्जलि में अर्जद्वारा कादी का कोई भी  
 का हीने के कारण कादी अपने कादी  
 की नोड प्रोस की खारिज करवाना  
 कादी के अर्जलि कादी अर्जद्वारा  
 द्वारा नोड प्रोस लिने जाने पर कादी  
 की खारिज बिना जाता है ज्ञानवली  
 की लल अर्जा दोनो नंबर लिने कादी  
 दोनो दाखिल दफ्तर दो।

उप

सहायक कलेक्टर, (फास्ट ट्रैक)  
 दौतारामगढ़ (लौकर)

Note processed  
by me

*(Handwritten signature)*